सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शनिवार, तिथि 05 चैत्र, 1944 (श०) / 26 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 11

(1)	स्वास्थ्य विभाग	09
(2)	ऊर्जा विभाग	01
(3)	योजना एवं विकास विभाग	01
	कुल योग --	11

अनुशंसा हेतु

102. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक विधायकों को प्रतिवर्ष अधिकतम तीन करोड़ रुपये की योजना अनुशंसा करने का अधिकार दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि लगभग सभी विधान सभा क्षेत्र में कम-से-कम 1500 गाँव टोला होता है, अत: यह राशि प्रति गाँव 20 हजार रुपया के आस-पास पड़ता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि यह राशि महंगाई ग्रामीण समस्याओं की संख्या तथा विधायकों से जनता की अपेक्षा के प्रतिकूल है, इस कारण जन-प्रतिनिधियों को जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस मद में प्रत्येक विधायकों को 8 करोड़ रुपयों की अनुशंसा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या 3924, दिनांक 10 अगस्त, 2018 के द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रति विधान मंडल सदस्य प्रति वर्ष 3.00 करोड़ रुपये की सीमा तक योजनाओं की अनुशंसा करने का प्रावधान है ।

(2) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत पूर्व में प्रति विधान मंडल सदस्य प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये की सीमा तक की योजनाओं की अनुशंसा करने का प्रावधान था । राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित क्षेत्रीय विकास, निर्माण सामग्रियों के मूल्य में बढ़ोत्तरी एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विकास में क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने के दृष्टिगत वर्ष 2018-19 से प्रत्येक विधान मंडल सदस्य को प्रति वर्ष तीन करोड़ रुपये की सीमा तक योजनाओं की अनुशंसा करने का प्रावधान मार्गदर्शिका में किया गया ।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

(4) वर्तमान में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि को बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

पाठ्यक्रम में नामांकन लेने का विचार रखना

103. श्री अशोक कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ0जा0))--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत स्टेट कोटा अन्तर्गत पी0 जी0 पाठ्यक्रम के लिये अनिवार्य अहर्ता राज्य अन्तर्गत किसी कॉलेज से एम0बी0बी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे स्टेट में पी0जी0 में नामांकन हेतु योग्यता उस राज्य से एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण होने के साथ वहाँ का स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य कर दिया गया है जिससे वहाँ से उत्तीर्ण बिहार के छात्र उस स्टेट के कोटा से वंचित होकर मात्र ए0आई0क्यू0 पर निर्भर हो गये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के स्थायी वैसे निवासी छात्र जो अन्य राज्यों से एम0बी0बी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण है उन्हें स्टेट कोटा के तहत पी0जी0 पाठ्यक्रम में नामांकन लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

104. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 21 फरवरी, 2022 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''बिना कैलकुलेशन कैसे हो एक्शन'' के आलोक में क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्तमान में बिजली का लॉस लगभग 30 प्रतिशत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के लगभग 1 करोड़ 70 लाख उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई के लिये 2 लाख 77 हजार 560 डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर लगे है जिसमें लगभग 1 लाख 22 हजार 766 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफॉर्मर पर एनर्जी एकाउंटिंग के लिये मीटर नहीं होने के कारण बिजली के लॉस के कारणों का पता नहीं चल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिजली के लॉस को 15 प्रतिशत तक लाने के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वंचितों को लाभ दिलाना

105. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभागीय संचिका संख्या 80(17), दिनांक 23 फरवरी, 2022 के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 450(1), दिनांक 15 अप्रील, 2017 द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में पी0जी0 बॉन्ड के रूप में तीन वर्षीय अनिवार्य सेवा हेतु चिकित्सा संस्थान में सिनियर रेजिडेन्ट के रूप में किया गया है, जिसमें आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है, जिस कारण एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 एवं ई0डब्लू0एस0 के डॉक्टरों को इसकी सुविधा नहीं मिल सका है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आरक्षण रोस्टर का पालन कराकर उक्त वर्गों के वंचितों को लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक है । स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 450(1), दिनांक 15 अप्रील, 2017 के द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से पी0जी0 उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु बंध-पत्र (Bond) हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था लागू है, जिसके अन्तर्गत सभी उत्तीर्ण पी0जी0/डिप्लोमा छात्रों से तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा लिया जाना है ।

P. G. Bond सामान्य नियुक्ति नहीं होती है । पी0जी0 पाठ्यक्रम में नामांकन आरक्षण रोस्टर का पालन करके ही की जाती है ।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेश याचिका संख्या 8269/2020 में दिनांक 21 जनवरी, 2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में मेरिट-कम-च्वाइस के आधार पर राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में पी0जी0/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को आवंटन किया गया है ।

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों में रिक्ति की उपलब्धता एवं NMC की आवश्यकताओं को दृष्टिपथ में रखते हुये आवंटन की कार्रवाई की गयी है । जिसके फलस्वरूप रोस्टर का अक्षरशः पालन करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है ।

ऐसा किये जाने के क्रम में सीनियर रेजिडेन्ट के रूप में 205 चिकित्सकों को चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में पदस्थापित किया गया है, जिसमें 122 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के है, जो लगभग 59.51 प्रतिशत होता है ।

(3) उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अस्पताल की अनदेखी करना

106. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 27 फरवरी, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''18 माह में मेडिकल उपकरण नहीं लगाये'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के एक मात्र उच्च स्तरीय अस्पताल इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान का 10 मंजिला भवन विगत 18 माह पूर्व बनने के बाद भी चिकित्सकीय सुविधा के लिये उपयोग में नहीं लाया जा सका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्मित भवन के कैथ लैब, ऑपरेशन थियेटर और इमरजेंसी उपकरण कि व्यवस्था बी0एम0एस0आई0सी0एल0 को करनी है, जहाँ राज्य के गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा उक्त अस्पताल की अनदेखी का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि माह दिसम्बर, 2020 के अंतिम सप्ताह में भवन निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित भवन को BMSICL, पटना को हस्तगत कराया गया है । उक्त भवन में कई प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन एवं उपकरणों आदि की व्यवस्था करते हुये अस्पताल को कार्यशील करने हेतु BMSICL, पटना द्वारा कार्य कराया गया है ।

(2) स्वीकारात्मक है । BMSICL, पटना द्वारा इस भवन में उपकरणों के अनुरूप संरचनात्मक परिवर्तन करते हुये सभी आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है । Cath Lab, Cardiac C.T. Scan सहित ऑपरेशन थियेटर से संबंधित उपकरण आदि के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2022 के अन्त तक पूर्ण कराकर अस्पताल को अप्रील माह से क्रियाशील किया जायेगा ।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

ड्रेसर की नियुक्ति

107. डॉ0 शशि भूषण सिंह (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रसिद्ध अस्पताल, पी0एम0सी0एच0 में रविवार के दिन डॉक्टरों द्वारा मरीज के वार्डों में चक्कर (राउंड) नहीं लगाया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बर्न वार्ड में पचपन (55) मरीज पर एक ड्रेसर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मरीजों के हित में डॉक्टर द्वारा रविवार को वार्डों में चक्कर लगाने तथा ड्रेसर की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । चिकित्सकों द्वारा रविवार को भी सभी वार्डों में राउंड दिया जाता है । साथ ही आकस्मिकी में सभी विभाग के चिकित्सक 24 x 7 उपस्थित रहते हैं ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) बिहार परिधापक संवर्ग नियमावली, 2022 संशोधन की प्रक्रिया में है । अनुमोदन के पश्चात् नियमित नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अधियाचना भेजते हुये अग्रेतर कार्रवाई अगले वित्तीय वर्ष में करायी जायेगी ।

पुनर्जीवित कराना

108. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 नवम्बर, 2021 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''सरकार सख्त .... पियांक त्रस्त .... नशामुक्ति केन्द्र पस्त'' के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 15 वर्ष के ऊपर के लगभग 15.5 प्रतिशत लोग शराब पीते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा लोगों को नशे की लत से मुक्ति दिलाने के लिये पाँच वर्ष पूर्व राज्य के सभी सदर अस्पतालों में नशामुक्ति केन्द्र खोला गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि संसाधनों के अभाव में राज्य के लगभग सभी नशामुक्ति केन्द्र बन्द हो गये हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च कोटि के संसाधनों एवं मनोचिकित्सकों की तैनाती करते हुये राज्य के सभी नशामुक्ति केन्द्रों को पुनर्जीवित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शराब का सेवन करने वाली शहरी तथा ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 0.5 एवं 0.4 है तथा शहरी एवं ग्रामीण पुरूषों में इसका प्रतिशत क्रमशः 14.0 एवं 15.8 है ।

(2) 1 अप्रील, 2016 से बिहार राज्य में पूर्ण मद्य निषेध कानून लागू है । कानून लागू करने के पूर्व सभी जिलों के जिला अस्पताल, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना की गई थी ।

(3) अस्वीकारात्मक । कोविड 19 संक्रमण काल में जब ओ0पी0डी0 सेवाएँ शिथिल थी एवं संक्रमण अपने चरम पर था एवं मरीजों की संख्या अधिक थी उस वक्त अधिकतर नशामुक्ति वार्ड का उपयोग कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार करने हेतु किया गया । कोविड संक्रमण के कम होने पर सारे पूर्व वर्णित संस्थानों (सदर अस्पताल पूर्णियाँ को छोड़कर जहाँ जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है) में नशामुक्ति केन्द्र का संचालन हो रहा है ।

(4) उपरोक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों को बंद कराना

109. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 नियम के विरुद्ध सीवान जिलान्तर्गत सिविल सर्जन, सीवान एवं माफियाओं क सांठ-गांठ से राधिका, शिवम्, ए0बी0एस0 सहित दर्जनों अवैध अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र संचालित हैं, वर्णित अल्ट्रसाउण्ड केन्द्रों पर कुशल टेकनिशियन नहीं रहने से मानव जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित जिला में अवैध तरीके से संचालित अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों को बंद कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान देना

110. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि Covid-19 वैश्विक महामारी के कारण पूर्वी चम्पारण जिला में 650 लोगों की मृत्यु हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि Covid-19 से मृत 445 परिवारों को 4-4 लाख भुगतान हुआ, परन्तु 80 मृत परिवार का सत्यापन नहीं होने के कारण भुगतान लम्बित है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण के 6 निजी अस्पतालों को Covid-19 के इलाज हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता दी गई परन्तु मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों द्वारा प्राईवेट जाँच किट से मरीजों का जाँच किया गया, जिसमें 108 Positive मृत मरीज शामिल है जिनका Covid-19 Positive Report/HRCT/मृत्यु प्रमाण-पत्र अस्पतालों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं होने से मृतक के परिजन अनुदान राशि से वंचित है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृत परिजनों के परिवारों को अनुदान देने एवं दोषी अस्पताल पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1), (2), (3) एवं (4) स्वीकारात्मक है। पूर्वी चम्पारण जिले में कोविड-19 संक्रमण से मृत 447 व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है।

बिहार राज्य सरकार के द्वारा पूर्व से ही कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में 50 हजार रुपया अनुग्रह अनुदान का SDRF मद से भुगतान भी मृतक के निकटतम आश्रित को किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 186 (11), दिनांक 9 मार्च, 2022 के द्वारा बिहार राज्य में कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों के अनुग्रह राशि संबंधी दावा आवेदनों के वैसे सभी मामले जिनमें यह निश्चित हो कि व्यक्ति की मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है और इसका पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, भले ही किसी कारणवश पोर्टल पर अपलोड आदि नहीं किया जा सका हो, उनकी सम्यक समीक्षा कर शीघ्रातिशीघ्र अनुमान्य राशि के भुगतान हेतु निदेशित किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अखबार के माध्यम से आवश्यक सूचना भी उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार भुगतान नहीं होने की स्थिति में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा सभी जिलों में अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में एक त्रि-सदस्यीय समिति (Grievance Redressal Committee) पूर्व से गठित है और कोई भी पीड़ित पक्ष मामले को समिति के संज्ञान में लाकर विधिसम्मत सहयोग प्राप्त कर सकता है। शिकायत निवारण समिति के गठन से संबंधित सार्वजनिक सूचनाएँ भी समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई है और इसमें उन कागजातों का भी उल्लेख कर दिया गया है जो दावा आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है।

इसके अलावे अस्वीकृत मामलों का अनुश्रवण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा भी किया जा रहा है जिसमें ऐसे लोगों की सूचना लगातार उपलब्ध कराई जा रही है।

सत्यापनोपरान्त 15 दिनों के अन्दर भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

स्वास्थ्य सुविधायें देना

111. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0जा0))--स्थानीय हिन्दी दैनिक में दिनांक 21 फरवरी, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''बाँस के खटोले पर इलाज कराने आते हैं मरीज'' के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि चेनारी विधान सभा अन्तर्गत पहाड़ पर अवस्थित रोहतास और नौहट्टा प्रखंड के ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा पहाड़ पर ना मिलने के कारण एवं यातायात की सुविधा ना होने के कारण ग्रामीणों को इलाज हेतु बाँस के खटोले के सहारे मरीजों को नीचे लेकर आना-जाना पड़ता है, जिसके चलते मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक उक्त पहाड़ पर स्वास्थ्य सुविधायें देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करने हेतु

112. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 सितम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''आई0जी0आई0एम0एस0'' 120 करोड़ से एक साल पहले बनी छत गिरी'' के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना के आई0जी0आई0एम0एस0 में बने स्टेट कैंसर सेन्टर में निर्माणाधीन भवन के एक साल पहले ही 120 करोड़ की लागत से बनी छत गिर गई, इसमें एक मजदूर के जख्मी होने की सूचना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आई0जी0आई0एम0एस0 में कैंसर के मरीजों को भर्ती होने में कड़ी मशक्कत करना पड़ता है और दूसरी ओर भवन निर्माण में इस प्रकार की लापरवाही उनके लिये जानलेवा हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस प्रकार की कारगुजारी रोकने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 26 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 124(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550